

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013” के नियम 30 (2) एवं (3) के क्रम में परियोजना निदेशक, वाराणसी के पत्र संख्या: 11015/5/पी0डी0 वाराणसी/रा0रा0 56 लेन/2015-16/17878 दिनांक: 16.05.2015 के अनुसार नई व्यवस्था में भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में, परिशिष्ट-3

विक्रय विलेख संख्या: 12 के आधार पर दर प्रति हेक्टेयर (1,79,55,801.00) ग्राम-हरिहरपुर, परगना-मीरानपुर तहसील-सदर जनपद-सुलतानपुर।

अर्जित क्षेत्रफल	दर प्रति हेक्टेयर	प्रतिकर	परिसम्पत्तियों का विवरण (मूल्यांकन)		भू0 अर्जन अधिनियम-2013 की धारा-30(3) के अनुसार धारा-3ए के प्रकाशन तिथि 23.10.2012 से अभिनिर्णय की तिथि 31.03.2015 कुल 890 दिन का 12% अतिरिक्त प्रतिकर	योग (3+4+5+6)	प्रतिफल 100%	फैक्टर		सम्पूर्ण योग (7+8+9+10)
			बृक्ष	भवन आदि				कालम-3 का नगरीय क्षेत्र में एक गुना	कालम-3 का ग्रामीण क्षेत्र में दो गुना	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
1.7470	1,79,55,801.00	3,13,68,784.00	3,11,740.00	7,05,252.00	94,76,167.00	4,18,61,943.00	4,18,61,943.00	—	4,18,61,943.00X2 =8,37,23,886.00	16,74,47,772.00
1.7470	1,79,55,801.00	3,13,68,784.00	3,11,740.00	7,05,252.00	94,76,167.00	4,18,61,943.00	4,18,61,943.00	—	4,18,61,943.00X2 =8,37,23,886.00	16,74,47,772.00
रू0 उन्तीस करोड, छत्तीस लाख, छः हजार, सात सौ छत्तीस मात्र										

पूँजीकृत मूल्य:-मालगुजारीX40गुना,

82.15X40=3,286.00 यानि=3,286.00

(रूपया, तीन हजार, दो सौ, छियासी मात्र)

(रामचन्द्र सरोज)

अपर उप जिलाधिकारी-सदर/सक्षम प्राधिकारी, सुलतानपुर।